न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 80 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 291

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 जवाराराम पुत्र चेनाराम वगैरह	1 पुरखाराम पुत्र भारमल वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 05.12.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय रत्नेश उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 08.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पुर्व पुरूष गिरधारी, ईश्वर पुत्रगण मसरा व चेना, गजा, अदा पुत्रगण श्री भुता जाति मेघवाल को द्वितीय बन्दोबस्त के समय राजस्व ग्राम सांचौर के गत खसरा नंबर 359 रकबा 39 बीघा 8 बिस्व भूमि का वर्ग बारानी द्वितीय पर खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। वहीं खसरा नंबर 359 के उतर में खसरा नंबर 358 रकबा 67 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी भूमि आई हुई थी जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई सवाराम पुत्र श्री भारमल जाति बिश्नोई को खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। उक्त प्रकार द्वितीय बन्दोबस्त कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के पुर्व पुरूष श्री गिरधारी, ईश्वर पुत्रगण मसरा व चेना, गजा, अदा पुत्रगण श्री भुता की खातेदारी आराजी में 0.36 हैक्टेयर की कमी कर दी जबकि द्वितीय बंदोबस्त अधिकारी कर्मचारियों को किसी खातेदारी भूमि को कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है साथ ही द्वितीय बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा वादीगण के पुर्व पुरूषों के नाम दर्ज किए गए खसरा नंबर 1457 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1463 / 3182 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1460 / 3183 रकबा 0.16 हैक्टेयर बने खसरों को राजस्व ग्राम सांचौर के गत खसरा नंबर 259 व गत खसरा नंबर 345 व 346 के बिच से गुजर रहे रास्ते के जिसके की पुर्व दिशा में प्रार्थीगण के पुर्व पुरूषों की कृर्षि भूमि खसरा नंबर 259 आई हुई थी को खसरा इस रास्ते के पश्चिम दिशा की तरफ दर्ज कर दिया जबकि द्वितीय बंदोबस्त कर्मचारियों को प्रार्थीगण के पुर्व पुरूषों की खातेदारी को एक स्थान से दुसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम सांचौर के वर्तमान खसरा नंबर 1446 / 3204 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1445 / 3203 रकबा 0.25 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1444 / 3202 रकबा 0.25 हैक्टेयर की भूमि

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थी संख्या 1 दखलंदाजी करे ना किसी अन्य से करावें और ना ही इस आराजी को अप्रार्थी संख्या 02 से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर उसका पट्टा प्राप्त करें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **08.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)